



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या: 81-अ० प्र० (2अ) / पा० का० लि० / 2015

दिनांक: 30 जून, 2015

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में एतद्वारा निम्नांकित अधीक्षण अभियन्ताओं (वै० एवं या०) को मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) (वै० एवं या०) के पद पर प्रोन्नत किया जाता है तथा स्तम्भ सं०-3 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान से स्तम्भ संख्या-4 में उल्लिखित निगम/स्थान को स्थानान्तरित कर तैनात/आबण्टित किया जाता है। उक्त अभियन्ता कार्यभार ग्रहण करने दिनांक से स्थानापन्न मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) (वै० एवं या०) के पद पर नियुक्त होंगे:-

क्र० सं०	नाम/अभि० संख्या/गृह जनपद/सेवानिवृत्ति का दिनांक (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	मुख्य अभियन्ता, स्तर-2 (वै० एवं या०) के पद पर प्रोन्नति के पश्चात आबण्टित निगम
1	2	3	4
1.	गंगा प्रसाद वर्मा 84004 / रोहतक 31.01.2019	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, वाराणसी।	उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ
2.	अशोक कुमार 84007 / गाजियाबाद 31.08.2020	अधीक्षण अभियन्ता सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (वितरण), फैजाबाद।	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ।
3.	बृजेश कुमार खरे 84009 / गोरखपुर 31.10.2017	अधीक्षण अभियन्ता एवं संयुक्त सचिव (सचिवालय प्रशासन), कारपोरेशन मुख्यालय, लखनऊ।	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) एवं अपर सचिव-द्वितीय, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
4.	पवनेन्द्र शर्मा 84012 / अलीगढ़ 31.06.2018	अधीक्षण अभियन्ता सम्बद्ध अतिरिक्त महानिदेशक, सतर्कता, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।	मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) एवं अपर सचिव-प्रथम, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।

2- उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-3-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप हैं।

3- आवंटित अधिकारी की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।

4- उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए।

5- नियन्त्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)-2001 दिनांक 11-6-2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वाकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

6- उपरोक्त आदेश दिनांक 01.07.2015 अथवा कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होंगे।

7- उपरोक्त अधिकारियों को मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) (वै० एवं या०) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि किन्हीं कारणोंवश निदेशक पद पर नियुक्त पाकालि संवर्ग के अभियन्ता अधिकारी की मूल पद पर प्रत्यावर्तित होने की स्थिति में कनिष्ठतम अधिकारी अधीक्षण अभियन्ता (वै० एवं या०) के पद पर स्वतः प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

प्रबन्ध निदेशक

(2)

संख्या: 81-अ0प्र0(2अ)/पा0का0लि0/2015 तददिनांक

- 1- मा० ऊर्जा राज्य मंत्री जी के निजी सचिव, उ०प्र०शासन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, के निजी सचिव/समस्त निदेशक/अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को लिमिटेड, कानपुर के निजी सचिव।
- 5- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/मुख्य महा प्रबन्धक/महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रांसमिशन का०लि०।
- 6- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 8- अनु सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल।

आज्ञा से,

Glenn

(सुबोध कुमार शर्मा)

उप सचिव

- 5- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/ मुख्य अभियन्ता (स्तर-2)/ मुख्य महा प्रबन्धक/ महा प्रबन्धक, उ०प्र०पा०का०लि०/ उ०प्र०पा०ट्रान्समिशन का०लि०।
- 6- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- उप महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/ लेखा अधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ।
- 8- अनु सचिव (गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- सम्बन्धित अधिकारीगण/ वैयक्तिक पत्रावली/ कट फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार शर्मा)
उप सचिव